न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 36/2011 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2011/00086

अनवानी :— बलदेव सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति जाट निवासी 40 एन.डी.आर. थाना पीलीबंगा हनुमानगढ़।

———अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान सरकार।

———रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :— श्री रविकांत वर्मा अभिभाषक अपीलांट
उपस्थित :— श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 22.04.2024

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 07.06.2011, जिसके द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 103/84 डीएम गंगानगर बना हुआ है, जिस पर 12 बोर गन नंबर 7344 दर्ज है। अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 21.12.2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.12.2010 को प्रेषित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2011 पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2009 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 103/84 डीएम गंगानगर दर्ज है, जिस पर 12 बोर गन नंबर 7344 दर्ज है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ से दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकृत था। तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 21.12. 2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ से रिपोर्ट ली। उक्त रिपोर्ट में जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलांट के विरूद्ध 7 मुकदमें दर्ज होना बताते हुए, अपीलांट के आवेदन पत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की, जबकि उक्त 7 मुकदमों में से 5 में अपीलांट को बरी कर दिया गया हैं तथा एक में दोषसिद्धी व एक में परिवीक्षा का लाभ देकर निर्णीत किये जा चुके है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मनमानी एवं तथ्यों के विपरी है। अपीलांट द्वारा अपने पारिवारिक सदस्य के खिलाफ 4 मुकदमें दर्ज करवाये, जिससे उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए तथा एक मुकदमें में प्रार्थी को विवाद में गोली तक लगी है। अपीलांट द्वारा शस्त्र धारण करने का मुख्य उद्येश्य स्वयं की रक्षा करना है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सन 1984 से लगातार नवीनीकृत होता रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में 07 मुकदमें दर्ज हुए हैं, जिसमें एक मुकदमें में सजा व एक में परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। गृह विभाग के परिपत्र अनुसार ऐसे लाईसेंस धारक जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हो और उसमें उसे सजा से दण्डित किया गया हो तो वह शस्त्र नहीं रख सकता। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश, जिसके द्वारा अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज किया गया, न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5. हमने अपील पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपीलांट के नाम से जारी था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में 07

संभागीय आयुक्त बीकानेर

मुकदमें दर्ज होने व एक मुकदमें में सजा होने के कारण अपने आदेश दिनांक 07.06.2011 द्वारा निरस्त कर दिया, ऐसी स्थिति में अपीलांट के नाम से जारी उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2011 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/4/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर